

[Shri Pranab Kumar Mukherjee],  
(Amendment) Ordinance, 1975, as  
required under rule 71(1) of the  
Rules of Procedure and Conduct of  
Business in Lok Sabha.

12.11 hrs.

#### AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL\*

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI  
PRANAB KUMAR MUKHERJEE):  
On behalf of Shri C. Subramaniam,  
I beg to move for leave to introduce  
a Bill further to amend the Agricultural  
Refinance Corporation Act, 1963.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I introduce the Bill.

अध्यक्ष महोदय : पं० कमलापति लिपटी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्रालियर) :  
अध्यक्ष महोदय, आप ने गृह मंत्री जी से कहा  
वा कि वारपेट चुनाव के उम्मीदवार की  
नियस्तारी के बारे में बयान देंगे....

अध्यक्ष महोदय : वह बाबौली ही बतला  
देंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह  
बतायेंगे ? अभी वहाँ दो चेतियाँ बताएँगी  
जी नियस्तार किये गये हैं....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्रालियर) :  
अध्यक्ष महोदय, जहाँ ये लोग हार जाते हैं,  
वहाँ इसी तरह से हल्ला करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह संकेत  
जी कब बयान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब वह बतायें,  
तब बदला दूया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन से  
कहूँगे कि वे अस्ती ब्यात दे। हम संकेत जी  
के भावण में एकछठ नहीं ढायना चाहते हैं,  
उन जी गया-धारा बही और हम उन से  
बहेंगे।

12.13 hrs.

#### RAILWAY BUDGET, 1975-76— GENERAL DISCUSSION—contd.

रेल मंत्री (श्री कमलापति लिपटी) :  
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति ध्यान आकर  
प्रकट करता हूँ, आप ने को मूल यह बहाउ  
दिया कि रेल बजट पर तीव्र विवाद जो  
बहस होती रही है, उसके संबंध में आपने विवार  
प्रकट करें।

मान्यवर, इस बजट कर मान्यवर  
सदस्यों ने बड़ी रुचि दिखाई है, बड़ी रुचि—  
जस्ती दिखाई है, इस लिये ओप के बाब

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2,  
dated 10-3-75.

†Introduced with the recommendation of the President;